

2021/846

27/11/20

1747
27/11/20

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एच०आर० खोजी
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 गणेशजी निवेदन है कि प्रायः बनवारी लाल का नाम राजस्व एम
 खाना स 133 (2015-78) में सकेत से बनाशम पुत्र सुरजाम
 के नाम पर दाखल दर्ता है।
 का नाम बनवारी लाल किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :- 27/11/2020

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरक्षा की जाती है /
 की जाती है।

उक्त किता जांच उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला बुंदेलूर (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दर्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
 उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खोजी	2015-78	133	बनाशम पुत्र सुरजाम	बनवारी लाल पुत्र सुरजाम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1708-09
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 27/11/20

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी